# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**निगरानी/टी.ए./3955/2006/भरतपुर**

1– सुआदेवी पत्नि जुगलसिंह (मृतक)
जरिये वारिसान :–
1/1. श्रीमती रूमाली पत्नी गंगासहाय निवासी भोणा तहसील वैर जिला भरतपुर।
1/2. श्रीमती सरबती पत्नी परभाती निवासी हरपोर तहसील वैर जिला भरतपुर।
2– महाराज सिंह
3– हेतराम
4– कल्याण
5– गजन
6– श्रीभान उर्फ साहब सिंह
समस्त पिसरान स्व. जुगलसिंह जाति गूजर निवासी भीमनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज विराजमान स्टेशन रोड बयाना शाश्वत अवयस्क जरिये बाबूलाल पुत्र श्री गिरार्जप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भीतरवाडी बयाना जिला भरतपुर।

...अप्रार्थी

**एकल–पीठ**

**श्री सूरज भान जैमन, सदस्य**

उपस्थितः–
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थी।

---

**आदेश**

**दिनांकः 15 मार्च, 2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा प्रकरण संख्या 45/2002 में पारित आदेश दिनांक 02–9–2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– आलोच्य आदेश द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने अप्रार्थी/वादी मूर्ति मंदिर श्री बिहारीजी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् जुगल किशोर के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26–12–2002 को स्वीकार किया गया।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि वादी मूर्ति मंदिर ने दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध दायर किया था जो शुरू से ही चलने योग्य नहीं है तथा वाद में पुनः मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी/प्रार्थीगण के पति व पिता की दावा दायर करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया गया कॉज ऑफ एक्शन (वादर कारण) ही उत्पन्न नहीं होता है इसलिए जब दावा चलने ही योग्य नहीं है तो मृत व्यक्ति के वारिसान को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका यह भी कथन है कि वादी ने वाद में अपने आपको नैक्सट फ्रैण्ड बनकर दावा पेश किया है जबकि उन्होंने ऐसा अंकित नहीं कि वे कैसे नैक्सट फ्रैण्ड इस प्रकरण में है, क्या वे देवस्थान विभाग से कोई पुजारी है या राजस्व अभिलेख में पुजारी अंकित है, ऐसा किसी प्रकार का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। अतः वादी न तो मंदिर की ओर से कोई हितबद्ध व्यक्ति है, न ही नैक्सट फ्रैण्ड एवं ना ही सेवायत या पुजारी है इसलिए वादी को वाद लाने का अधिकार ही उत्पन्न नहीं होता है तथा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–9–2003 निरस्त फरमाया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 02–9–2003 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आदेश–1 नियम–10 के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसमें प्रतिवादी जुगलसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादी जुगलसिंह की मृत्यु होने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादी की मृत्यु दावा दायरी के बाद हुई थी इसलिए दावा

दायरी का कॉज ऑफ एक्शन तथ्यात्मक घटना है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेकर तय किया जायेगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि निगरानी दायर करने के पूर्व सुआदेवी की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार निगरानी भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि मूर्ति मंदिर वादी नाबालिग शाश्वत है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायसंगत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इसलिए निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–निगराकार ने तर्क दिया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अप्रार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. दिनांक 14–11–2002 की मद नंबर–1 में यह कहा है कि प्रतिवादी की तामीली रिपोर्ट पर प्रतिवादी की मृत्यु दावा दायरी के पूर्व होना रिपोर्ट में आया है और मद नंबर–2 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी जुगल सिंह के अलावा उनकी पत्नी श्रीमती सुआ देवी, महाराज सिंह, हेतराम, कल्याण, गजनसिंह व श्रीभान में भी दिनांक 05–5–2002 को वक्त बिनाय दावा पुत्र थे इसलिए उनके विरूद्ध बिनाय दावा बनता है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया जाए। इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि जुगल सिंह मृतक व्यक्ति था जिसके विरूद्ध दावा पेश किया गया है। अन्त में उनका कथन है आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधान के अन्तर्गत दावा दायरी के पूर्व यदि कोई व्यक्ति मर चुका है उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना अनुमत नहीं करते है। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाए।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. दिनांक 16–12–2002 को प्रस्तुत हुआ है जिसकी इबारत से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी/वादी स्वयं यह स्वीकार करते है कि जुगलसिंह की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हो चुकी थी जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जहां कि प्रतिवादी का दावा दायरी के पूर्व ही मृत्यु हो जाना वादी द्वारा स्वीकार किया गया हो, वहां वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. के प्रावधान यह अनुज्ञात नहीं करते कि उसके वारिसान, जो कि दावा दायरी के समय से पक्षकार नहीं हो, उन्हें

पक्षकार बनाया जाए। यहां यह उल्लेखनीय है कि आदेश–1 नियम–3 सी.पी.सी. का प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **3. प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे**– वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद मे संयोजित किए जा सकेंगे जहाँ–
>
> (क) एक ही कार्य का संव्यवहार या कार्यो या संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनक विरूद्ध संयुक्ततः या पृथक्तः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है ; और

7– इसी के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश–7 नियम–1''क'' के अनुसार दावे में वाद–हेतुक, वाद एवं वाद–हेतुक की तिथि दावा की अन्तर्वस्तु होती है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जुगल सिंह को आदेश–1 नियम–3 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रतिवादी बनाया जाने का कोई वाद हेतुक ही घटित नहीं हुआ था और ऐसी स्थिति में जबकि मृत व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया गया है, दावा संस्थित किये जाने योग्य ही नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02–9–2003 कानूनी प्रावधनों के विपरीत होने से संधारणीय नहीं होकर निगरानी में उठाये गये कानूनी बिन्दु सारपूर्ण है।

8– परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–9–2003 खारिज किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रश्नगत भूमि शाश्वत नाबाालिग मूर्ति मंदिर के स्वत्व व अवधारण की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्शित है, जैसा कि जमाबंदी संवत 2055–58 ग्राम नया गांव खुर्द तहसील बयाना जिला भरतपुर के खाता संख्या 29 पर यह भूमि प्रतिवादी जुगल सिंह के बजाय नामांतरकरण संख्या 34 के द्वारा मंदिर श्री बिहारीजी महाराज, बयाना के नाम पर दर्ज की हुई है और शाश्वत नाबालिग की भूमि की सुरक्षा हेतु नैक्सट फ्रैण्ड को यह अधिकार है कि वह शाश्वत नाबालिग के अधिकारों की रक्षा हेतु दावा दायर कर सकता है और इस मामले में उसके द्वारा दायर किया गया दावा मूर्ति मंदिर के अभिलेखों व अवधारण की भूमि की सुरक्षा के लिए किया हुआ था इसलिए उसे अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर की भूमि के हितों पर बदनीयती का रूख रखता हो और मंदिर मूर्ति को भूमि के उपभोग व उपयोग में व्यवधान, मजाहमत, मदाख्लत प्रतीत होती हो, के विरूद्ध अजसरेनो

दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी है और जुगल सिंह के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद हेतुक कारित ही नहीं हुआ है इसलिए जुगल सिंह के वारिसान के विरूद्ध वर्तमान (हस्तगत्) दावा की मद नंबर–6 का कोई प्रतिकूल प्रभाव नवीन दावा प्रस्तुत करने के विषय में नहीं रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सूरज भान जैमन)**
**सदस्य**